Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

Case No.-52/2024

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Revision Case No.- 52 /2024]

Shambhu Prasad Gupta..Appellant

Versus

The State of Bihar & Others...Respondents.

Serial No.	Date of order or proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.11.2025	(see order below)	

आदेश

यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0-3/2021 में दिनांक-30.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है।

दिनांक-07.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक-134 दिनांक-24.9.2018 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा दिनांक-22.9.2019 को वादी श्री शंभू प्रसाद गुप्ता के P.D.S दुकान की जाँच के उपरांत पत्रांक-318 दिनांक-25.9.2019 से निर्गत जाँच प्रतिवेदन एवं पुनः दिनांक-28.12.2019 को दुकान की जाँच के उपरांत पायी गई अनियमितता के आलोक में श्री शभु प्रसाद गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त P.D.S. दुकान संचालन में अनियमितता के प्रमाणित आरोप के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के आदेश ज्ञापांक-3007/गो0 दिनांक-31.12. 2019 द्वारा वादी का P.D.S. अनुज्ञप्ति सं0-210/2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध वादी श्री शंभू प्रसाद गुप्ता द्वारा समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष आपूर्ति अपील वाद सं0-03/2021 दायर किया गया। जिसमें उभय पक्ष की सुनवाई के उपरान्त वादी के विरूद्ध उपस्थापित साक्ष्य एवं प्रमाणित घोर अनियमितता के आलोक में अपील वाद को सकारण आदेश से खारिज किया गया। अभिलेख में उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन तथा कागजातों के आधार पर यह प्रमाणित हो रहा है कि Petitioner द्वारा P.D.S. दुकान का अनियमित संचालन किया गया है। इनके P.D.S. दुकान के कई तिथियों को की गई भौतिक जाँच के आधार पर P.D.S. अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया है। वादी श्री शंभू प्रसाद गुप्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भी कतिपय लाभुकों को अपात्र बताते हुए अनाज/किरासन तेल नहीं देने की बात स्वीकार की गई है। जो जाँचोंपरान्त नियम विरूद्ध पाया गया है। उपस्थापित साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि Petitioner के स्तर से P.D.S. दुकान के संचालन से संबंधित Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 में निहित प्रावधानों तथा P.D.S. अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई में Petitioner की ओर से वाद पत्र में किए जा रहे अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश (30.12.2023) विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Prayc K.
21/11/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Prayc K.
21/11/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय
कोशी प्रमंडल, सहरसा

1.